



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-08102026-276947
CG-BR-E-08102026-276947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5250]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5250]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 21 सितम्बर, 2026

का.आ. 5460(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, कोडरमा – गोमो सेक्सन अंतरगर्त सोन नगर से अंडाल तक 3rd & 4th रेलवे लाइन (374.53 Route Km and 814.38 Track Km) निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भू अर्जन पदाधिकारी(प्रशासन), धनबाद, झारखंड राज्य को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा

ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आछेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आछेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भू अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर वर्णित किय जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आछेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आछेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आछेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

अनुसूची

झारखंड राज्य के धनबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, कोडरमा – गोमो सेक्सन अंतरगर्त सोन नगर से अंडाल तक 3rd & 4th रेलवे लाइन (374.53 Route Km and 814.38 Track Km) निर्माण परियोजना के निर्माण के लिए, भूमि का संक्षिप्त विवरण संरचना के साथ या के बिना, अधिग्रहण किया जाना है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में यह परियोजना धनबाद जिला के झारखंड राज्य में स्थित है।

जिला – धनबाद

राज्य - झारखंड

क्रम संख्या	मौजा का नाम	थाना नं	खाता स०	प्लॉट संख्या	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (एकड़)	प्रभावित भूमि / प्लॉट
(1)	1	2	3	4	5	6
	हरिहरपुर	14	100	5225	1.650	आंशिक
			100	5222	3.220	आंशिक
			258	5440	0.190	आंशिक
			कुल			5.060

[फा. सं. डीसीई/कॉन/एचजेडएमई-1/ कोडरमा – गोमो/20A]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/द०/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAY**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

PATNA, the 21st September, 2026

S.O. 5460(E).— In exercise of the powers conferred by clause (4) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for implementation of the Special Railway Project, namely, Koderma to Gomoh Section under “Multi tracking of Son Nagar – Andal 3rd & 4th Rail line (374.53 Route Km and 814.38 Track Km),” The project, under jurisdiction of East Central Railway, is situated in the state of Bihar, Jharkhand & West Bengal.” is hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Koderma to Gomoh Section under “Multi tracking of Son Nagar – Andal 3rd & 4th Rail line (374.53 Route Km and 814.38 Track Km),” The project, under jurisdiction of East Central Railway, is situated in the state of Bihar, Jharkhand & West Bengal.”.

District- Dhanbad**State- Jharkhand**

Serial Number	Mauza Name	Thana No.	Khata No	Plot No.	Total Area (in Acre)	Affected Land / Plot
(1)	1	2	3	4	5	6
	Hariharpur	14	100	5225	1.650	Partial
			100	5222	3.220	Partial
			258	5440	0.190	Partial
Total					5.060	

[F. No. DCE/Con/HZME-I/Koderma–Gomoh/20A]

RAJIV GUPTA, CAO/Con/South ECR